

ई-सेल  
जयपुर


राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ.26(4)खा.वि./मीटिंग/2014

जयपुर, दिनांक : 13.10.2023


संशोधित वीडियो कॉन्फेन्सिंग बैठक कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.10.2023 को आदर्श आचार संहिता की पालन करवाने के संबंध में वी.सी के माध्यम से की गई बैठक में दिनांक 11.10.2023 को जारी किये गये बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या-4 के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.10.2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इस बिन्दु पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

  
13/10/2023  
(नवनीत कुमार)  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0.जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य विभाग, जयपुर, राज0।
4. महाप्रबन्धक, राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0.जयपुर।
5. समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त उपविधि परामर्शी, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. सहायक-कम-प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
10. उपनियंत्रक, विविध माप विज्ञान प्रकोष्ठ, जयपुर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी एवं प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
13/10/2023  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त